राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.11(05)नविवि/भवन विनियम/2025 पार्ट–14787 जयपुर, दिनांकः यथा हस्ताक्षरित

–:आदेश:–

मॉडल राजस्थान भवन विनियम–2025 के विनियम 12.3 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय अनुसार निम्नानुसार प्रचलित प्रावधानों में संशोधन किया जाता है एवं नवीन प्रावधान जोडे जाते हैं:–

1. भवन विनियम–2025 के विनियम 4.10 (I) में उल्लेखित कृषि आधारित वेयर हाउस/सामान्य वेयर हाउस के अतिरितक्त ड्राई पोटर्स/कार्गो टर्मिनलस/लॉजिस्टिक्स पार्कस्/स्टोरेज फैसेलिटी के भूखण्डों को वेयर हाउस / गोदाम की श्रेणी में सम्मलित किया जाता है।
2. मोटल प्रयोजनार्थ के संबंध में भवन विनियम–2025 के विनियम 2.33 में उल्लेखित मोटल परिभाषा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित "मोटल (Motel) ऐसा भवन जिसमें यात्रा करने वालों के लिए ठहरने, वाहन पार्किंग एवं वाहन रिपेयरिंग, पेट्रोल पम्प सुविधा सहित/रहित, रिटेल शॉपिंग एवं खानपान की सुविधाऐं हो, अभिप्रेत है।" किया जाता है। तथा भवन विनियम–2025 के विनियम 5 में निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान जोड़े जाते हैं:–

VI. मोटल के साथ पेट्रोल पंप / फिंलग स्टेशन / इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन प्रस्तावित किये जाने पर मोटल के साथ रिटेल फ्यूल फिलिंग स्टेशन / इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र पर वाणिज्यिक दर के अनुसार नियमानुसार राशि देय की जानी होगी।

VII. मॉडल राजस्थान भवन विनियम–2025 के बिंदु सख्या 6.14 पार्किंग सुविधा के अनुसार पार्किंग/E.C.U. का न्यूनतम 10% इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग सुविधा के प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।

VIII. मोटल के साथ पेट्रोल पंप/फिंलग स्टेशन प्रस्तावित किये जाने पर उक्त उपयोग मे आवागम सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग से उपलब्ध नही कराया जाकर नियमानुसार सर्विस लेन / स्लिप लेन से आवागम किया जाना होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।

RajKaj Ref No.: 19450059
eSign 1.0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.12.18 10:30:02 IST
Reason: Approved

4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), जयपुर।
10. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त———————————————————————।
13. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
14. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव– प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.12.18 10:30:02 IST
Reason: Approved